



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा.11029-3/2018-केवीएस(प्रशासन. I)Vol-II

केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,  
नई दिल्ली 110 016  
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg  
New Delhi 110 016  
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570  
website:www.kvsangathan.nic.in

दिनांक : 14.09.2019

### कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय उडुमलपेट जिला तिरुप्पूर (तमिल नाडु) उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है :-

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	उडुमलपेट जिला तिरुप्पूर (तमिल नाडु)	केन्द्रीय विद्यालय उडुमलपेट राजेन्द्रा सालई उडुमलपेट तिरुप्पूर जिला, तमिल नाडु - 642126

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2019-20 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

(डॉ शची कान्त)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

#### वितरण:

- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमैन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.
- संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
- आयुक्त, के.वि.सं के निजी सचिव।
- अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) के.वि.सं के निजी सचिव।
- संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण.) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।

7. उपायुक्त, केविसं क्षेत्र का चेन्नई को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क कर के वि.सं. को संचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रिकॉर्ड हेतु इस कार्यालय को भेजे।
8. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा), तमिल नाडु सरकार ।
9. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला तिरुप्पूर को जानकारी के लिए सूचनार्थ।
10. अधीक्षण अभियंता केविसं को उनके नोट संख्या एफ 110111/440/2019-केविसं (मु)/कार्य दिनांक 17.08.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
11. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
12. सहायक आयुक्त (स्था. II & III) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ की तैनाती करें।
13. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
14. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
15. निदेशक, के.वि.सं. समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
16. उपायुक्त ई.डी.पी. को के.वि.सं. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
17. अध्यक्ष/सचिव के.वि.सं. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
18. गार्ड फाइल।

\*\*\*\*\*



केन्द्रीय विद्यालय संगठन  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,

नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg  
New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website: www.kvsangathan.nic.in

Date: 12/09/2019

F. 11029-3/2018-KVS(Admn.-I)/Vol-II

### OFFICE-ORDER


Kendriya Vidyalaya Sangathan vide office-order of even number dated 08.03.2019, conveyed the approval of Government of India, for establishing 50 new Kendriya Vidyalayas under Civil Sector with the stipulation that the sponsoring authority concerned is required to transfer the identified and demarcated land and also to give possession of the same to KVS prior to opening of the new Kendriya Vidyalaya. **Kendriya Vidyalaya at Udumalpet, Distt. Tiruppur (Tamil Nadu)** is one of the 50 new Kendriya Vidyalayas sanctioned.

Since the land in the matter of this Kendriya Vidyalaya has been transferred by the Sponsoring Authority in favour of Kendriya Vidyalaya concerned, sanction of the Commissioner, KVS is hereby conveyed to start a new Kendriya Vidyalaya under Civil Sector with immediate effect, at the following location:-

S.No.	Name of Kendriya Vidyalaya	Kendriya Vidyalaya will be made functional at:
1.	Udumalpet, Distt. Tiruppur (Tamil Nadu)	Kendriya Vidyalaya Udumalpet Rajendra Salai, Udumalpet Tiruppur District, Tamil Nadu- 642126

The above Vidyalaya will start functioning from class I to V (single section in each class) during the academic year 2019-20 and thereafter will grow consequently based on feasibility.

The admission process may be completed within 30 days from the date of issue of this order.

  
(Dr. Shachi Kant)  
Joint Commissioner (Pers.)

#### Distribution:-

1. PS to HRM-cum-Chairman, KVS.
2. Sr. PPS to Secretary (SE&L), MHRD-cum-Deputy Chairperson, KVS.
3. Sr. PPS to Joint Secretary (EE), MHRD-cum-Vice- Chairman, KVS.
4. PS to Commissioner, KVS.
5. PS to Additional Commissioner (Admn. / Acad.), KVS.
6. Joint Commissioner (Training), KVS Hqrs with the request to issue staff sanction order as per rule.

7. The Deputy Commissioner, KVS, Regional Office, **Chennai** with the request to liaison with the sponsoring authority and make the KV functional. He is also requested to inform the name of **Parliamentary Constituency** in which this school falls, for record of this office.
8. The Principal Secretary, (Education), Govt. of **Tamil Nadu**.
9. The Collector & District Magistrate, Distt.- **Tiruppur (Tamil Nadu)** for information.
10. The Superintending Engineer, KVS w.r.t. Note No. F-1100111/440/2019-KVS/Works dated 17.08.2019.
11. Secretary, CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-92
12. Asst, Commissioner, (Estt. I/ Estt. II & III), KVS Hqrs with the request to depute staff as per rule.
13. All Officers/Sections, KVS Hqrs.
14. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices.
15. Director, all ZIETs, KVS.
16. The Deputy Commissioner (EDP), KVS to upload the order on KVS website.
17. President/ General Secretary, KVS recognized Staff Associations.
18. Guard File.

\*\*\*\*\*